

आधार के लिए आवश्यक सेवाओं से मना नहीं कर सकते

नई दिल्ली। आधार जारी करने वाले प्राधिकरण यूआईडीएआई ने शनिवार को कहा कि मेडिकल सुविधाओं, स्कूल एडमिशन या राशन कार्ड जैसी आवश्यक सेवाओं को आधार के लिए मना नहीं किया जा सकता है।



एक बयान में यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सरकारी विभागों और राज्य प्रशासन से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आवश्यक सेवाओं या लाभ को आधार के लिए मना नहीं किया जा सकता है। यूआईडीएआई ने उन खबरों पर गंभीरता से संज्ञान लिया है जिसमें आधार कार्ड नहीं होने पर मेडिकल सुविधा या अस्पताल में भर्ती करने से मना करने की बात सामने आई है।

इसमें कहा गया है कि ऐसे दावों के पीछे के सही कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित एजेंसियां जांच कर रही हैं और यदि कोई मना करने की घटना हुई है तो जांच में पुष्टि होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी